

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 496(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 180 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने संजीवनी ट्रस्ट, एवस्ट, ए/1-2, द्वितीय तल, 156, तारदेव रोड, मुम्बई-400034 द्वारा चिकित्सा उपचार, दवाईयाँ, जरूरतमंद रोगियों के लिए भोजन, पुस्तकें, शैक्षिक समानें, जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए वर्दी और छात्रवृत्ति और लोगों के लिए अन्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 22 पर विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे बाद में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 213 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1127 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संजीवनी ट्रस्ट, एवस्ट, ए/1-2, द्वितीय तल, 156, तारदेव रोड, मुम्बई-400034 द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा उपचार, दवाईयाँ, जरूरतमंद रोगियों के लिए भोजन, पुस्तकें, शैक्षिक समानें, जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए वर्दी और छात्रवृत्ति और लोगों के लिए अन्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत अर्थात् 25.00 लाख रुपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।